IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की भूमिका: एक विस्तृत ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रतिवेदन

हिमांशु कुमार राय

शोधार्थी,स्नातकोत्तर इतिहास विभाग,

जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, सारण

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध प्रतिवेदन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में प्रेस और पत्रकारिता की परिवर्तनकारी भूमिका का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक, बिहार की पत्रकारिता केवल सूचना प्रसार का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध वैचारिक प्रतिरोध, सामाजिक सुधार और राजनीतिक लामबंदी का एक प्रमुख केंद्र रही है । यह प्रतिवेदन इस तथ्य की पड़ताल करता है कि कैसे भाषाई समाचार पत्रों, विशेष रूप से उर्दू और हिंदी पत्रकारिता ने सबसे पहले 'पृथक बिहार' की मांग के माध्यम से क्षेत्रीय चेतना को जागृत किया, जो कालांतर में भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्यधारा में विलीन हो गई । डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण द्वारा स्थापित 'द बिहार टाइम्स' से लेकर राष्ट्रवाद के प्रखर स्वर 'द सर्चलाइट' तक, बिहार के प्रेस ने ब्रिटिश दमन चक्र, सेंसरशिप और वित्तीय संकटों के बावजूद जनमत को आकार देने में सफलता प्राप्त की । इस शोध में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रेस की सक्रिय भागीदारी, विशेष रूप से 'मदरलैंड' और 'देश' जैसे पत्रों के योगदान का मूल्यांकन किया गया है । अंततः, यह अध्ययन दर्शाता है कि बिहार में प्रेस ने 'बौद्धिक क्रांति' की आधारशिला रखी, जिसने न केवल स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया, बल्कि आधुनिक बिहार के सामाजिक-राजनीतिक ढांचे को भी परिभाषित किया ।

कीवर्ड (Keywords): बिहार का इतिहास, भारतीय प्रेस, स्वतंत्रता संग्राम, द सर्चलाइट, सच्चिदानंद सिन्हा, राष्ट्रवादी पत्रकारिता, औपनिवेशिक सेंसरशिप, पृथक बिहार आंदोलन, हिंदी-उर्दू पत्रकारिता, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 की क्रांति, जन चेतना।

बिहार में पत्रकारिता का उदय और प्रारंभिक वैचारिक पृष्ठभूमि

बिहार में प्रेस का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। औपनिवेशिक भारत में प्रेस का विकास केवल एक तकनीकी नवाचार नहीं था, बल्कि यह शिक्षित मध्यम वर्ग द्वारा अपनी पहचान और अधिकारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त उपकरण था । 19वीं शताब्दी के मध्य तक, बिहार प्रशासनिक रूप से बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा था, जिसके कारण यहाँ की राजनीति और प्रशासन पर बाहरी प्रभाव अधिक था। इस विसंगति ने बिहार के बुद्धिजीवियों को एक ऐसे मंच की आवश्यकता महसूस कराई जहाँ से वे अपनी विशिष्ट समस्याओं और मांगों

को उठा सकें ।

बिहार में पत्रकारिता के उद्भव के मूल में 'बौद्धिक क्रांति' और 'चेतना' की वह शक्ति थी जिसने राष्ट्रवाद को एक दिशा दी । जैसा कि कालीकिंकर दत्त ने अपनी पुस्तक 'बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास' में उल्लेख किया है, बिहार की पत्रकारिता का इतिहास वस्तुतः यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष का ही इतिहास है । प्रारंभिक दौर में, बिहार में प्रेस का स्वरूप मुख्य रूप से सूचनात्मक और सामाजिक सुधारों की ओर झुका हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे यह ब्रिटिश नीतियों के तीखे आलोचक के रूप में विकसित हुआ ।

प्रेस की इस भूमिका को समझने के लिए हमें उस समय के प्रशासनिक और भाषाई परिवेश को देखना होगा। 1857 के महान विद्रोह के दौरान प्रेस ने, अपनी सीमित उपस्थिति के बावजूद, विद्रोही भावनाओं को हवा दी थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने 'गैगिंग एक्ट' जैसे कठोर कानूनों के माध्यम से सेंसरशिप लागू की । 1857 के बाद के वर्षों में, बिहार में प्रेस का पुनरुत्थान भाषाई पत्रकारिता के माध्यम से हुआ, जिसने न केवल स्वतंत्रता बल्कि 'क्षेत्रीय स्वायत्तता' की मांग को भी जन्म दिया ।

19वीं शताब्दी में भाषाई पत्रकारिता: उर्दू और हिंदी प्रेस का योगदान

बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक चेतना के निर्माण में उर्दू पत्रकारिता की भूमिका ऐतिहासिक रूप से अग्रणी रही है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि बिहार को बंगाल से अलग करने और बिहारियों के अधिकारों के लिए पहली आवाज उर्दू समाचार पत्रों ने उठाई थी । मुंगेर से प्रकाशित होने वाला 'नादिर-उल-अखबार' (1874) और 'मुर्ग-ए-सुलेमान' (1876) वे प्रारंभिक पत्र थे जिन्होंने सरकारी नौकरियों में बिहारियों की उपेक्षा के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया ।

मुंगेर के 'मुर्ग-ए-सुलेमान' ने 7 फरवरी 1876 के अपने अंक में "बिहार बिहारियों के लिए" का ऐतिहासिक नारा दिया, जो बाद के दशकों में बिहार के स्वाभिमान का प्रतीक बन गया । इसी प्रकार, पटना से प्रकाशित साप्ताहिक 'कासिद' (1877) ने बिहार और बंगाल के एकीकरण को बिहार के हितों के प्रतिकूल बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की । 'अल-पंच' (1885) जैसे पत्रों ने इस आंदोलन को और अधिक उग्र और प्रगतिशील बनाया, जिससे अंग्रेजी भाषी नेताओं का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ ।

समाचार पत्र	स्थापना वर्ष	स्थान	प्रमुख संपादक/संस्थापक	मुख्य उद्देश्य
नादिर-उल-अखबार	1874	मुंगेर	-	पृथक प्रांत की मांग
बिहार बंधु	1872	बिहारशरीफ/पटना	केशव राम भट्ट	हिंदी पत्रकारिता और सामाजिक सुधार
मुर्ग-ए-सुलेमान	1876	मुंगेर	-	"बिहार बिहारियों के लिए" नारा
कासिद	1877	पटना	-	प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग
बिहार हेराल्ड	1875	पटना	गुरु प्रसाद सेन	बौद्धिक विमर्श और समाचार

हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में 'बिहार बंधु' का योगदान अतुलनीय है। 1872 में केशव राम भट्ट द्वारा स्थापित यह पत्र बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था । उस समय हिंदी भाषा के प्रति सम्मान की कमी और पाठकों के अभाव के बावजूद 'बिहार बंधु' ने अपनी निरंतरता बनाए रखी और हिंदी भाषी समाज में राजनीतिक जागरूकता का बीज बोया । इन भाषाई समाचार पत्रों ने उस 'बौद्धिक आधार' का निर्माण किया जिस पर आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन की भव्य इमारत खड़ी हुई ।

डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और 'द बिहार टाइम्स' का युग

बिहार के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण की जोड़ी को आधुनिक बिहार का वास्तुकार माना जाता है । डॉ. सिन्हा ने यह भली-भांति समझ लिया था कि ब्रिटिश शासन के भीतर बिहार के हितों की रक्षा के लिए एक सशक्त अंग्रेजी प्रेस का होना अनिवार्य है जो तार्किक और वैधानिक रूप से अपनी बात रख सके ।

1894 में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने महेश नारायण के संपादन में 'द बिहार टाइम्स' (The Bihar Times) का प्रकाशन शुरू किया । इस पत्र ने न केवल पृथक बिहार की मांग को एक संगठित स्वरूप दिया, बल्कि इसने बिहार के युवाओं में एक

नई अस्मिता का संचार किया । 'द बिहार टाइम्स' ने सांख्यिकीय आंकड़ों और प्रशासनिक तर्कों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि बंगाल के साथ रहने से बिहार का शैक्षिक और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा है ।

1906 में इस पत्र का नाम बदलकर 'बिहारी' (Beharee) कर दिया गया और यह दैनिक समाचार पत्र बन गया । डॉ. सिन्हा और महेश नारायण की पत्रकारिता का प्रभाव इतना व्यापक था कि इसने अंततः 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा का मार्ग प्रशस्त किया । डॉ. सिन्हा ने 'हिंदुस्तान रिव्यू' (1901) के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के बौद्धिक विमर्श में भी बिहार की उपस्थिति दर्ज कराई । उनकी पत्रकारिता का मूल मंत्र "निष्पक्षता और राष्ट्रीय हित" था, जिसने भविष्य के पत्रकार-स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक मानक स्थापित किया ।

'द सर्चलाइट': राष्ट्रवाद का प्रखर प्रहरी

1918 में पटना से 'द सर्चलाइट' (The Searchlight) का प्रकाशन शुरू होना बिहार की पत्रकारिता के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी । इसके संस्थापकों में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और सैयद हैदर हुसैन जैसे दिग्गज नेता शामिल थे, जो प्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय उपकरण के रूप में देखते थे ।

'द सर्चलाइट' ने अपनी स्थापना के साथ ही ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध एक निडर रुख अपनाया। इस पत्र ने न केवल रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं की तीखी आलोचना की, बल्कि यह बिहार में महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाले आंदोलनों का मुख्य रणनीतिक मंच भी बना ।

मुरली मनोहर प्रसाद और पत्रकारिता का नैतिक साहस

'द सर्चलाइट' के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद ने इस समाचार पत्र को बिहार के आम आदमी की आवाज बना दिया। उनके संपादन में पत्र की प्रसार संख्या और प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई । 1928-29 के दौरान, जब 'सर्चलाइट' ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुछ टिप्पणियों को हिंदू भावनाओं के प्रतिकूल बताते हुए आलोचनात्मक लेख छापे, तो मुख्य न्यायाधीश सर कोर्टनी टेरेल ने इसे न्यायालय की अवमानना माना ।

इस मुकदमे के दौरान मुरली मनोहर प्रसाद ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, जिससे सर कोर्टनी टेरेल इतने प्रभावित हुए कि बाद में वे स्वयं छद्म नाम "Indian" से 'सर्चलाइट' में स्वतंत्रता के समर्थन में लेख लिखने लगे । यह घटना भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में अद्वितीय है और यह दर्शाती है कि प्रेस ने किस प्रकार औपनिवेशिक अधिकारियों की अंतरात्मा को भी झकझोरने का कार्य किया ।

प्रकाशन चरण	आवृत्ति	वर्ष	मुख्य प्रभाव
प्रारंभिक	द्वि-साप्ताहिक	1918	राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की स्थापना
मध्यम	त्रि-साप्ताहिक	1920	असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रचार
आधुनिक	दैनिक	1930	सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी

'सर्चलाइट' केवल एक समाचार पत्र नहीं था; यह एक विचारधारा थी। इसने बिहार की 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी' की शाखाओं का समर्थन किया और रूसी क्रांति जैसे वैश्विक विषयों पर लेख छापकर जनता में 'पूर्ण स्वराज्य' की आकांक्षा जगाई ।

गांधीवादी युग और प्रेस की नई भूमिका: 'मदरलैंड' और 'देश'

1920 के दशक में महात्मा गांधी के आगमन के साथ बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले लिया। इस परिवर्तन में प्रेस ने एक सेतु की भूमिका निभाई, जिसने गांधीजी के सिद्धांतों को ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाया ।

मौलाना मजहरुल हक और 'मदरलैंड'

असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने पटना में 'सदाकत आश्रम' की नींव रखी, जो आगे चलकर बिहार की राजनीति का केंद्र बना । सितंबर 1921 में उन्होंने इसी आश्रम से 'मदरलैंड' (The Motherland) नामक अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया । 'मदरलैंड' ने असहयोग आंदोलन की गतिविधियों को जनता तक पहुँचाने और ब्रिटिश शासन की अनैतिकता को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

मजहरुल हक ने अपने लेखों के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव और हिंदू-मुस्लिम एकता का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने "हम सब एक ही नाव में सवार हैं" (We are in the same boat) का संदेश देकर औपनिवेशिक सत्ता की 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर प्रहार किया । उनके निर्भीक संपादकीय लेखों के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन 'मदरलैंड' का स्वर कभी धीमा नहीं हुआ ।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद और 'देश'

महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और भारत के भावी राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी साप्ताहिक 'देश' (Desh) का प्रकाशन शुरू किया । 'देश' ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी, चरखा और स्वदेशी के संदेश को लोकप्रिय बनाया। डॉ. प्रसाद ने अपने लेखों के माध्यम से किसानों और आम जनता को अहिंसक प्रतिरोध के महत्व को समझाया । 'देश' के माध्यम से ही बिहार के लोगों ने चंपारण के किसानों के संघर्ष और गांधीजी की नई संघर्ष पद्धति 'सत्याग्रह' को आत्मसात किया ।

प्रेस और किसान आंदोलन: 'हुंकार' की गर्जना

1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन ने एक उग्र रूप ले लिया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किसानों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया, उसे प्रेस ने भरपूर समर्थन दिया ।
'हुंकार' (Hunkar) पत्रिका किसान आंदोलन का मुखपत्र बनी। इसके संपादन में राहुल सांकृत्यायन और विजयानंद त्रिपाठी जैसे दिग्गजों ने योगदान दिया । 'हुंकार' ने जमींदारी प्रथा के शोषण और ब्रिटिश राजस्व नीतियों के विरुद्ध किसानों को संगठित किया। 1942 के आंदोलन के दौरान, 'हुंकार' पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इसने भूमिगत रूप से अपना कार्य जारी रखा और किसानों को "कर न दो" (No Tax) जैसे अभियानों के लिए प्रेरित किया ।

1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और प्रेस का संकट

1942 का 'भारत छोड़ो आंदोलन' बिहार के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था। इस दौरान प्रेस को ब्रिटिश सरकार के भीषण दमन का सामना करना पड़ा । सरकार ने युद्ध की स्थिति का लाभ उठाते हुए 'डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स' के तहत प्रेस पर कड़ी प्री-सेंसरशिप लागू कर दी ।

समाचार पत्रों का ऐतिहासिक बलिदान

ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि कोई भी समाचार पत्र बिना सरकारी अनुमोदन के आंदोलन से जुड़ी खबरें नहीं छापेगा। इसके विरोध में बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों ने एक साहसिक निर्णय लिया:

1. **द सर्चलाइट:** सरकार की अपमानजनक शर्तों के तहत प्रकाशन जारी रखने के बजाय 'सर्चलाइट' ने अपना प्रकाशन ही बंद कर दिया । यह पत्रकारिता की गरिमा की रक्षा के लिए किया गया एक बड़ा बलिदान था।
2. **इंडियन नेशन:** 6 सितंबर 1942 को 'इंडियन नेशन' ने भी अपना प्रकाशन बंद कर दिया। संपादक ने स्पष्ट किया कि "स्वतंत्र टिप्पणी और सही समाचारों के प्रकाशन पर लगे प्रतिबंधों के कारण अखबार निकालना संभव नहीं है" ।

इस संकटकाल में बिहार में केवल सरकारी बुलेटिन 'पटना डेली न्यूज' ही उपलब्ध था, जो ब्रिटिश दुष्प्रचार का केंद्र था । सरकार ने राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए 'सत्ययुग' और 'योगी' जैसे पत्रों के संपादकों को गिरफ्तार किया और प्रिंटिंग प्रेसों को जब्त कर लिया ।

भूमिगत पत्रकारिता और आजाद दस्ता

जब मुख्यधारा के समाचार पत्र बंद कर दिए गए, तब स्वतंत्रता सेनानियों ने 'भूमिगत पत्रकारिता' (Underground Journalism) का सहारा लिया। जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित 'आजाद दस्ता' ने नेपाल की तराई से रेडियो प्रसारण और प्रचार विभाग के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा ।
बिहार के विभिन्न जिलों से 'साइक्लोस्टाइल' (Cyclostyled) बुलेटिन और पर्चे बांटे जाने लगे:

- **मुंगेर बुलेटिन:** यह गुप्त रूप से प्रकाशित होकर क्रांतिकारियों तक सूचनाएं पहुँचाता था ।
- **आजाद मैदान (पटना):** यहाँ से गुप्त पर्चे और निर्देश प्रसारित किए जाते थे ।
- **कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रकाशन:** 'अवर स्ट्रगल' और 'द आजाद' जैसे पर्चे जनता में जोश भरने का कार्य

करते रहे ।

इन भूमिगत प्रकाशनों ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी दमनकारी शक्ति द्वारा 'विचारों की अभिव्यक्ति' को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता ।

औपनिवेशिक प्रेस कानून और दमनकारी नीतियां

ब्रिटिश सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कानूनों के माध्यम से बिहार और भारत के प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इन कानूनों का उद्देश्य न केवल आलोचना को रोकना था, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव को कुचलना भी था ।

प्रेस कानून	वर्ष	मुख्य प्रावधान और बिहार पर प्रभाव
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट	1878	क्षेत्रीय भाषाओं के पत्रों पर कठोर नियंत्रण। बिहार में भाषाई चेतना को दबाने का प्रयास ।
इंडियन प्रेस एक्ट	1910	सुरक्षा राशि की मांग। 'सर्चलाइट' जैसे पत्रों को बार-बार भारी जुर्माना देना पड़ा ।
डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट	1915	युद्धकाल में प्रेस की स्वतंत्रता का दमन। राजनीतिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग पर रोक ।
प्रेस इमरजेंसी एक्ट	1931	सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी साहित्य को प्रतिबंधित करने हेतु प्रयोग ।
इन कानूनों के बावजूद, बिहार के पत्रकारों ने 'सत्याग्रह' के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपनी लेखनी को झुकने नहीं दिया। कई बार अखबारों को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए सरकारी विज्ञापनों को रोक दिया गया, लेकिन जनता के समर्थन और चंदे से ये पत्र चलते रहे ।		

प्रेस की भूमिका: सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम

बिहार में प्रेस का योगदान केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। इसने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे जातिवाद, दहेज प्रथा, अशिक्षा और छुआछूत के विरुद्ध भी एक मजबूत माहौल तैयार किया ।

'बिहार बंधु' और 'देश' जैसे पत्रों ने सामाजिक समरसता और शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया । पत्रकारिता ने स्त्रियों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया। समाचार पत्रों के माध्यम से ही सरला देवी और रामेश्वरी नेहरू जैसी महिला नेताओं के संदेश आम महिलाओं तक पहुँचे, जिससे वे घर की दहलीज लांघकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुईं ।

बिहार के प्रेस ने यहाँ की 'लोक संस्कृति' और 'शहादत' की कहानियों को भी अमर बनाया। 1942 के शहीद छात्रों की वीरता हो या 1857 के बाबू कुंवर सिंह का बलिदान, प्रेस ने इन गाथाओं को जन-जन तक पहुँचाकर राष्ट्रवाद की भावना को गहराई प्रदान की ।

आधुनिक बिहार की पत्रकारिता का प्रभाव और विरासत

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार की पत्रकारिता ने नए आयाम स्थापित किए। 'प्रदीप' (Pradeep) जैसे समाचार पत्रों ने 'सर्चलाइट' की विरासत को आगे बढ़ाया और 1970 के दशक के जेपी आंदोलन के दौरान सत्ता के भ्रष्टाचार के विरुद्ध

आवाज उठाई ।

आज जब हम बिहार के विकास और यहाँ की लोकतांत्रिक चेतना की बात करते हैं, तो हमें उन ऐतिहासिक स्रोतों और लेखकों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने इस गौरवशाली इतिहास को लिपिबद्ध किया है । कालीकिंकर दत्त की 'History of the Freedom Movement in Bihar' और डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा की आत्मकथा 'Recollections and Reminiscences' हमें उस कठिन दौर की पत्रकारिता की चुनौतियों और उपलब्धियों का विस्तृत दर्शन कराती हैं ।

निष्कर्ष (Conclusions)

बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की भूमिका का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि पत्रकारिता यहाँ के जन-जागरण की 'रीढ़' थी । प्रेस ने एक साथ तीन स्तरों पर युद्ध लड़ा: औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध, समाज की रूढ़ियों के विरुद्ध सामाजिक युद्ध, और भाषाई पहचान के लिए सांस्कृतिक युद्ध ।

1. **वैचारिक जागृति:** प्रेस ने बिहार के लोगों को उनके अधिकारों और वैश्विक राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति सचेत किया, जिससे एक शिक्षित और जागरूक नागरिक समाज का निर्माण हुआ ।
2. **नेतृत्व का पोषण:** बिहार के लगभग सभी बड़े नेता, चाहे वे डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हों, डॉ. राजेंद्र प्रसाद हों या मजहरुल हक, पत्रकारिता से सीधे जुड़े थे। प्रेस ने उनके विचारों को जनता तक पहुँचाने के लिए 'लाउडस्पीकर' का कार्य किया ।
3. **एकता और अखंडता:** विभिन्न भाषाओं (उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी) में छपने वाले समाचार पत्रों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर 'भारतीयता' और 'बिहारियत' की भावना को प्रबल बनाया ।
4. **दमन के विरुद्ध साहस:** 1942 के दौरान प्रेस का आत्म-बलिदान और भूमिगत पत्रकारिता यह दर्शाती है कि बिहार की पत्रकारिता का मूल्य उसकी प्रसार संख्या में नहीं, बल्कि उसके नैतिक साहस में निहित था ।

संक्षेप में, बिहार की प्रेस केवल स्वतंत्रता संग्राम की गवाह नहीं थी, बल्कि वह स्वयं एक 'सेना' थी जिसकी स्याही ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की पटकथा लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । इस विरासत का संरक्षण और संवर्धन आज के डिजिटल युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना कि वह औपनिवेशिक काल में था।

संदर्भ सूची (Reference)

1. Bhargava, Moti Lal. *Role of Press in the Freedom Movement*. Reliance Publishing House, 1987.
2. Choubey, Deepak, and Renu Kumari. "भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका: योगदान और चुनौतियाँ" (*Role of Bihar in the Indian Freedom Movement: Contributions and Challenges*). *International Journal of History*, vol. 7, no. 5, 2025, pp. 207-212.
3. Datta, Kalikinkar. *History of the Freedom Movement in Bihar*. Vol. 1 (1857-1928), Government of Bihar, 1957.
4. ---. *History of the Freedom Movement in Bihar*. Vol. 2 (1928-1941), Government of Bihar, 1957.
5. ---. *History of the Freedom Movement in Bihar*. Vol. 3 (1942-1947), Government of Bihar, 1958.
6. ---. *The Santhal Insurrection of 1855-57*. University of Calcutta, 1940.
7. Ghosh, J. K. "The Role of Vernacular Press in the Indian Independence Movement." *South Asian Media Studies*, vol. 5, no. 2, 2021, pp. 45-60.
8. Haque, Mazharul. *The Motherland*. Swadeshi Press, Sadaqat Ashram, 1921.
9. Jha, Jata Shankar. *Early Revolutionary Movement in Bihar*. K.P. Jayaswal Research Institute, 1977.
10. Kumar, Sanjeev. *Rashtriya Aandolan mein Bihar ki Bhumika - 1857 se 1947*. Walnut Publication, 2020.
11. Ladendorf, Janice M. *The Revolt in India 1857-58: An Annotated Bibliography of English Language Materials*. Inter Documentation Co., 1966.
12. Natarajan, J. *History of Indian Journalism*. Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1955.
13. Natarajan, S. *A History of the Press in India*. Asia Publishing House, 1962.
14. Nihalani, S. C. *Press and Freedom Struggle in India*. R. K. Jain, 1995.
15. Raghavan, G. N. S. *The Press in India: A New History*. Gyan Publishing House, 1994.
16. Sajjad, Mohammad. *Muslim Politics in Bihar: Changing Contours*. Routledge, 2014.
17. Sen, Sunil Kumar. *Tribal Struggle for Freedom: Singhbhum 1820-21*. Progressive Publishers, 1972.
18. Sinha, Sachchidanand. *Recollections and Reminiscences of a Long Life*. Edited by Pratyush Kumar

and Madan Mishra, Anamika Publishers, 2022.
19. Thakur, Ram Chandra. *History of Journalism in Bihar: 1866-1919*. Directorate of Bihar State Archives, 1980.
20. Verma, M. L. *Journalism and Freedom Movement in Bihar*. Eastern Book House, 1970.